

प्रेषक,

एस0के0 मट्टु,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य महिला आयोग,
उत्तरांचल, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग :

देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2005

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, राज्य महिला आयोग, उत्तरांचल के पत्र संख्या-234/रा0म0आ0/पुनर्विनियोग/2004-05, दिनांक 03 जनवरी, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय व्यय मद हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3- किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार क्य नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्य डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

4- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-सामाज कल्याण-103-महिला कल्याण-10-महिला राज्य आयोग की स्थापना-08-कार्यालय व्यय मानक मद आयोजनेत्तर पक्ष के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-15 के रतम्भ-4 की बचतों से वहन किया जायेगा।

5- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-1493/वित्त अनुभाग-2/2005, दिनांक 24 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 मट्टु)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-2121 XVII (2)/2005, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपूर रोड़ ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- निदेशक, ICDS उत्तरांचल।
- 5- वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
- 6- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

म. न. गुप्ता
(एस0के0 मट्टु)
प्रमुख सचिव।

प्रपत्र- बी.एम.-15

नियन्त्रक अधिकारी:-सचिव, राज्य महिला आयोग,
उत्तरांचल, देहरादून।

(धैरा-158)
वित्तीय वर्ष 2004-05
(धनराशि हजार रूपये में)

प्रशासकीय विभाग-महिला सशक्तीकरण

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष आवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 की कुल धनराशि	अभ्युक्ति	
							व्यय का कारण	अतिरिक्त आवश्यकता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	
अनुदान संख्या-15, आयोजनोत्तर 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 03-महिला कल्याण, 10-राज्य महिला आयोग की स्थापना, 16- व्यवसाय तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान बजट प्राविधान-200	—	100	100	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02- समाज कल्याण, 103- महिला कल्याण, 10- राज्य महिला आयोग की स्थापना 08- कार्यालय व्यय- 100	200	100	वित्तीय वर्ष में सम्भवतः व्यय न होने के कारण	कार्यालय व्यय मद में कम पड़ रही धनराशि की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोग किया जा रहा है।
कुल बजट प्राविधान	—	100	100	योग:-	200	100	—	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बाद बजट नैनुवल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

m. s. y. s.
(रस. के. महर)

उत्तरांचल, देहरादून।

1571
वित्त अनुभाग-2
देहरादून: दिनांक 24/3/05 /XV11(2)/05/2005.
संख्या: 1495(1)/वित्त अनुभाग-2/2005.

पुनर्विनियोग स्वीकृति

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून।

24/3/2005
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्या: 212/XV11(2)/05/2005 तद्दिनांक।

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, राज्य महिला आयोग, उत्तरांचल।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, 23-बलबीर रोड, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिषद।

आज्ञा से,

(हेमलता गौड़ियल)

अपर सचिव।